प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

अपर निदेशक, मलेरिया/वी0बी0डी0,
जवाहर भवन,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्र सं0: 04–A/NVBDCP/NP/2016–17/4215 दिनांक: 08-8-16

विषय : फाइलेरिया नियंत्रण हेतु एम0डी0ए0 कार्यक्रम के संचालन के लिये वर्ष 2016–17 में जनपदों को अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि आपके पत्र संख्या माल0/एम0डी0ए0 2016/2322 दिनांक 15.07.2016 द्वारा अनुरोध एवं प्रस्तावानुसार एन0वी0बी0डी0सी0पी0 के अन्तर्गत फाइलेरिया नियंत्रण हेतु प्रदेश के 5 जनपदों यथा इलाहाबाद, बाराबंकी, फैजाबाद, सोनभद्र एवं बरेली में एम0डी0ए0 कार्यक्रम दिनांक 10 अगस्त, 2016 को कराये जाने हेतु रू0 160.14 लाख की धनराशि सम्बन्धित जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में दिनांक 03.08.2016 को निम्नलिखित तालिका के अनुसार अवमुक्त की गयी है–

Budget released for MDA 2016 under Filaria (in lacs)

SN	Districts	State Task Force, STAC Meeting, printing forms & register/ Mobility support,district coordination meeting,sensitization of media etc., Morbidity management,monitoring & supervision and mobility support for Rapid response including Line listing F.1.4.a	Micro filaria Survey F.1.4.b	Post MDA Assessment by medical colleges (Govt,& Private)/ ICMR institutions F.1.4.c	Training / Sensitization of district level officers on ELF & Drug Distributors / Peripheral health workers F.1.4.d	Specific IEC/ BCC at State, dristricts, PHC, Sub Center & village lable VHSC/GKs F.1.4.e	Honorarium for Drug Distributors including ASHA & Supervisors involve in MDA F.1.4.f	Total
1	Allahabad	4.70	0.25	0.15	13.20	2.00	50.60	**70.90**
2	Barabanki	1.00	0.50	0.15	6.25	0.85	25.00	**33.75**
3	Faizabad	0.90	0.50	0.15	4.72	0.75	18.90	**25.92**
4	Sonbhadra	1.00	0.50	0.15	3.56	1.05	14.24	**20.50**
5	Bareilly	4.10	0.50	0.15	1.85	2.47	0.00	**9.07**
Total		**11.70**	**2.25**	**0.75**	**29.58**	**7.12**	**108.74**	**160.14**

----2

2. उपर्युक्त अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु कार्यक्रम कियान्वयन एवं अनुश्रवण सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से एस0पी0एम0यू0 के राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग के साथ समन्वय कर जनपदों को निर्गत करने का कष्ट करें तथा दिशा–निर्देश निम्नलिखित बिन्दुओं को भी समाहित करने का कष्ट करें–

- धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

- स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकी में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें, जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

- आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट टीम एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

---3

- भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

O/C (आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: 04–A/NVBDCP/NP/2016–17/4215-9 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति।
4. निदेशक, संक्रामक रोग एवं वी0बी0डी0, उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
5. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद इलाहाबाद, बाराबंकी, फैजाबाद, सोनभद्र एवं बरेली।
7. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट–www.upnrhm.gov.in पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. सम्बन्धित मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की गयी धनराशि के नियमानुसार उपयोग/व्यय करने हेतु सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
9. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि उक्त पत्र की प्रति सम्बन्धित नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

O/C (आलोक कुमार)
मिशन निदेशक